विस्थापितों के मानवाधिकार : धनबाद जिला के पंचेत क्षेत्र के संदर्भ में

शोध–प्रस्तावना

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद

सामाजिक विज्ञान संकाय के

राजनीति विज्ञान विभाग में

पीएच0 डी0 की उपाधि हेतु समर्पित

द्वारा

शोधार्थी

अंकुश कुमारी

(पंजीयन संख्या : ....)

विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद

शोध निदेशक

डॉ. अमूल्य एस. सुमन बेक, सहायक प्राध्यापक

विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय,धनबाद

जनवरी, 2024

भूमिका

यह अक्षरशः सत्य है विस्थापन की समस्या एक बहुत ही विकट समस्या है। यह समस्या शारीरिक ,मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से गंभीर होने के साथ–साथ भावनात्मक रूप से भी अतिकष्टदायक होता है । लोग दशकों से जिस स्थान पर रह रहे होते है,वहाँ के वातावरण से उनका गहरा जुड़ाव होता है । उनका अपना एक विशेष सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश होता है । विस्थापन के कारण उनका यह परिवेश नष्ट हो जाता है साथ ही ग्रामीण समाज के लोग अपने जीवन यापन हेतु विशेष रूप से कृषि पर आश्रित होते है । अतः जब उन्हें उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो उनका जीवन सम्पूर्ण रूप से अस्त–व्यस्त हो जाता है ।

लेकिन विस्थापन की समस्या उस समय और अधिक गंभीर रूप ले लेती है जब उसका निपटान सही तरीके से नहीं किया जाता है । उनके पुनर्वास से जुड़ी नीतियों एवं योजनाओं को पूर्ण रूप से एवं ससमय लागू नहीं किया जाता है । इन कारणों से विस्थापितों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है एवं वे अपनी मूल पहचान खो देते है । विशेष रूप से, आदिवासी एवं अशिक्षित लोगों का जीवन विस्थापन के कारण गम्भीर रूप से प्रभावित होते है । ये लोग अपनी आजीविका उपार्जन के लिए मुख्यतः खेती पर आश्रित होते है । विस्थापित होने के बाद उन्हें खेती करने के लिए पर्याप्त एवं उपजाऊ जमीन की प्राप्ति नहीं होती है जिसके कारण उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती हैं । विस्थापितों का न केवल राजनीतिक जीवन अपितु राजनीतिक अधिकार भी बुरी तरह से प्रभावित होता है । ये चीजें उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभावित करती है जिससे उनका जीवन असमायोजित हो जाता है ।

धनबाद जिला के कलियासोल प्रखंड के पंचेत क्षेत्र के लोगों को भी विस्थापन का दंश झेलना पड़ा हैं। पंचेत 2.411 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है । यह धनबाद जिला से 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।[1] 1954 में यहाँ पर दामोदर नदी पर दामोदर घाटी निगम परियोजना के द्वारा जल विद्युत उत्पादन हेतु डैम का निर्माण करने के लिए यहाँ के निवासियों को उनकी जमीन एवं घरों से विस्थापित कर दिया गया ।पंचेत डेम 10961 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है । इस परियोजना के निर्माण कार्य से विस्थापन के कारण 10 लाख लोग प्रभावित हुए ।[2] डेम निर्माण से पूर्व यहाँ के निवासी खेती–बाड़ी किया करते थे । लोगों का सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन बहुत ही बहुत आनंदमय था ।

विस्थापन के पश्चात् यहाँ के लोगों का सामाजिक ,आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ । भूमि हस्तांतरण के बदले यहाँ के वाशिंदों को जो मुआवजा देने की बात कही गई

उसे भली–भांति पूरा नहीं किया गया । साथ ही सरकार ने नियोजन सम्बन्धी भी जो वादा किया उसे सही रूप में पूरा नहीं किया । विशेषकर यहाँ के गरीब ,अशिक्षित आदिवासी जन बुरी तरह से प्रभावित हुए । जमीन मालिक दिहाड़ी मजदूरी कर रहे है । ग्रामीण विस्थापित लोगों के मानवाधिकारों की पूरी तरह से अवहेलना की गई है ।

विस्थापित लोग अपने अधिकारों की मांग के लिए 1968 से आन्दोलन कर रहे है। आदिवासी महासभा के सलाहकार रामाश्रय सिंह ने दैनिक जागरण (धनबाद न्यूज,15 अगस्त 2019) बताया कि 1954 में 240 गाँव के 12 हजार परिवारों की 38 हजार एकड़ जमीन डीवीसी ने अधिग्रहित किये । साढ़े नौ हजार फर्जी लोगों को विस्थापित बताकर नियोजन दिया गया । अर्थात् वास्वतिक विस्थापित लोग अपने अधिकारों से वंचित रह गए । दो पीढियां संघर्ष करते दम तोड़ गईं । अब तीसरी पीढ़ी अपने हक के लिए जंग और इंतजार कर रही है ।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विस्थापन लोगों के सामाजिक, आर्थिक ,सांस्कृतिक , राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक सभी पक्षों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है । विशेष रूप से जब विस्थापितों से सम्बंधित नीतियों एवं योजनाओं को सही प्रकार से एवं सही समय पूरा नहीं करने से तथा उनके अधिकारों के हनन से उनका जीवन आजीवन संघर्षमय एवं दयनीय बन जाता है ।

साहित्य समीक्षा

- सिंह(2016), *'विकास, विस्थापन एवं पुनर्वासः'* इस पुस्तक में लेखक ने समाज में विकास, विस्थापन एवं पुनर्वास के मुद्दों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया है।[3]
- कुमारी (2019), *'भूमि हस्तांतरण का जनजातियों के सामाजिक– आर्थिक स्थिति पर प्रभाव'* : प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका ने भूमि विस्थापन की समस्या एवं उसके सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पर प्रकाश डाला है ।[4]
- गुप्ता (2019), *'आदिवासी विकास से विस्थापन'*: इस पुस्तक में लेखिका द्वारा विस्थापन एवं पुनर्वास की नीतियों का सही क्रियान्वयन नहीं होने के कारण, विस्थापित जो दंश झेल रहे है, उसका वर्णन किया गया है ।[5]
- बेक (2020), *'ट्रायबल ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन'* : इस पुस्तक में लेखक ने विस्थापन के कारण जनजातियों के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी प्रकाश डाला है ।[6]

- चौधरी (2021), *'झारखंड की अर्थव्यवस्था'*: इस पुस्तक में लेखक ने पृष्ठ ३०३ में विस्थापन नीति का उल्लेख करते हुए बताया ही कि पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद भी आदिवासियों के विस्थापन एव पुनर्वास नीतियों में विशेष सुधार नहीं हो पाया है ।[7]
- जार्ज और नौटियाल (2009), *'भारत में विस्थापन और कानून'* : इस पुस्तक में वैश्विक नागरिक समाज के समक्ष जबरन बेदखली की समस्या की व्यापकता एवं इस प्रकार की अमानवीय कार्यवाही से होने वाले आर्थिक और मानवीय नुकसान की गंभीरता को प्रस्तुत करती है।[8]
- बंद्योपाध्याय और सुबेदी (2012), *'ह्यूमन राइट्स ऑफ द इंटरनली डिस्प्लेसड पर्सनस लॉ एंड प्रेक्टिस'*: प्रस्तुत पुस्तक में विस्थापितों के मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून में कानूनी यंत्रो की कमी, भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी कमी एवं पुनर्वास से संबंधित नीतियों में कमियों जैसे विस्थापन से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया है ।[9]
- फुलिलोव (1996), *'साइक्रिटीक इम्प्लिकेसन ऑफ डिस्प्लेसमेंट : कंट्रीब्यूसन फ्रॉम द साइक्लोजी ऑफ प्लेस'* : प्रस्तुत लेख में विस्थापितों पर विस्थापन के करण पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव की विवेचना की गयी है ।[10]
- पिंगली (2022), *'द सोशियो इकोनॉमिक, पोलिटिकल,एंड कल्चरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ आदिवासीजःइम्प्लिकेसनस ऑफ इंडस्ट्रीयलायिजेसन, अर्बनायिजेसन, एंड जेन्ट्रीफिकेसन इन झारखंड'* : प्रस्तुत लेख में विस्थापन के कारण आदिवासियों के जीवन पर पड़नेवाले सामाजिक , आर्थिक, राजनितिक और सांस्कृतिक विस्थापन के प्रभावों का विवेचन किया गया है ।[11]
- एरिपरामपिल (1996), *'डिस्प्लेसमेंट डीयू टू माईनिंग इन झारखंड'* : प्रस्तुत लेख में मायनिंग के कारण ग्रामीण जीवन पर पड़ने वाले गम्भीर आर्थिक प्रभाव पर प्रकाश डाला है ।[12]

उपरोक्त साहित्यों की समीक्षा से स्प्ष्ट होता है कि विस्थापन एक बहुत ही गंभीर समस्या है। विस्थापितों का सही से पुनर्वास नहीं होने के कारण यह समस्या और भी विकट हो जाती है। इसपर अनेक शोध हुए है लेकिन धनबाद जिले के पंचेत क्षेत्र के विस्थापितजन जो विस्थापन एव सही रूप में पुनर्वास नहीं होने के करण जो कष्ट झेल रहे है, पर शोध नहीं हुआ है। प्रस्तावित शोध का विषय इस पर ही केन्द्रित है।

शोध समस्या

प्रस्तावित शोध की समस्या का कथन 'विस्थापितों के मानवाधिकार : धनबाद जिले के पंचेत क्षेत्र के संदर्भ में' है। प्रस्तावित शोध में विस्थापितों कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं एवं उनके मानवाधिकारों के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही धनबाद जिला के पंचेत क्षेत्र में बांध निर्माण के कारण विस्थापित हुए लोगो के पुनर्वास एवं नियोजन की समस्याओं के कारण पड़ने वाले प्रभावों का तथा उनके उन मानवाधिकारों ,जिनका हनन हुआ हैं, का अध्ययन किया जाएगा ।

प्रस्तावित शोध के उद्देश्य़

- विस्थापन से उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन करना।
- विस्थापितों के मानवाधिकारों के व्यावहारिक पक्ष का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
- पंचेत क्षेत्र के विस्थापितों की समस्याओं का अध्ययन करना।
- पंचेत क्षेत्र के विस्थापितों के मानवाधिकारों के व्यवहारिक पक्ष का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
- पंचेत क्षेत्र के विस्थापितों के पुनर्वास एवं आर्थिक विकास के लिए बनाई गयी सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन के व्यावहारिक पक्ष का विश्लेषण एवं उनका विस्थापित जनों के जीवन के विभिन्न पक्षों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना

- विस्थापन के कारण लोगो का जीवन गम्भीर रूप से प्रभावित होता है ।
- विस्थापितों के मानवाधिकारों का हनन होता हैं ।
- पंचेत क्षेत्र के विस्थापितों का जीवन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं से प्रभावित हैं।
- पंचेत क्षेत्र के विस्थापितों के मानवाधिकारों का हनन होता हैं ।
- पंचेत क्षेत्र के के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए बनी सरकारी नीतियों एवं योजनाओं का पूर्ण रूप से एवं ससमय क्रियान्वयन नहीं होता है ।

शोध प्रविधियाँ

इस शोध कार्य के अंतर्गत ऐतिहासिक, o.kZukRed एवं विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया जाएगा । आँकड़े संग्रहण के लिए निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा:-

- **प्राथमिक श्रोत :–**अवलोकन विधि, प्रश्नावली एवं अनुसूची साक्षात्कार, सर्वेक्षण विधि, केस अध्ययन विधि, सरकारी दस्तावेज आदि।
- **द्वितीय श्रोत :–**प्रकाशित पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाएँ, अभिलेख, समाचार पत्र, पुस्तकालय, वेवसाइट लिंक आदि।

शोध का महत्त्व

यह अनुसन्धान समाज एवं सरकार का ध्यान विस्थापित जनों की समस्या एवं कष्ट की ओर आकर्षित करने में एवं सामजिक न्याय स्थापित करने में सहायक होगा। साथ ही विस्थापितों के सामाजिक–आर्थिक जीवन स्तर में सुधार लाने एवं विस्थापन की प्रक्रिया का निपटान भली – भांति किये जाने में भी सहायक होगा, जिससे की यह समस्या गंभीर न बने तथा विस्थापितों का जीवन कष्टमय न हो सके।

साथ ही यह शोध सामाजिक न्याय की समस्या से जुड़े विषय पर शोध करने वाले शोधार्थियों के लिए सहायक होगा।

शोध की सीमाएँ और भविष्य कार्य

यह शोध धनबाद जिले के कुछ सीमित स्थानों तथा पंचेत क्षेत्र में किया जाएगा। साक्षात्कार द्वारा प्राप्त सूचनाएँ व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है। इसके अलावा प्रशासन से आकड़ों और सूचनाओं को प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है एवं प्राप्त सूचनाओं में पारदर्शिता की कमी हो सकती है। विस्थापित लोगों से सूचनाएँ प्राप्त करने में भी कठिनाई आ सकती हैं।

विस्थापन की समस्या की जोखिम को कम करने के लिए सतत् विकास तथा पुनर्वास संबंधी नीतियों पर शोध कार्य किया जा सकता है। साथ ही विस्थापितों के विकास पर शोध किया जा सकता हैं।

<u>सम्भावित अध्यायीकरण</u>

- **प्रस्तावना**

प्रथम अध्याय → विस्थापन, पुनर्वास एवं मानवाधिकार की अवधारणा

द्वितीय अध्याय→ धनबाद क्षेत्र में विस्थापन की समस्या

तृतीय अध्याय → पंचेत क्षेत्र में विस्थापन की समस्या एवं उसके प्रभाव

चतुर्थ अध्याय → विस्थापितों के पुनर्वास से संबंधित सरकारी नीतियाँ एव ंयोजनाओं का अवलोकन एवं समीक्षा

पंचम अध्याय → विस्थापितों के पुनर्वास के लिए गैर सरकारी संगठनों का योगदान

- **निष्कर्ष**

संदर्भ सूची

1. https://dhanbad.nic.in/hi/tourist (12.08.2023)
2. https://www.jagran.com/lite/jharkhand/dhanbad (10.06.2023)
3. सिंह, आर . (2016), विकास ,विस्थापन एवं पुनर्वास, नयी दिल्ली
4. कुमारी, एच.(2019), भूमि हस्तांतरण का जनजातियों के सामाजिक– आर्थिक स्थिति पर प्रभाव, नयी दिल्ली
5. गुप्ता,आर (2019), आदिवासी विकास से विस्थापन,राधा कृष्णा पब्लिकेशन , नयी दिल्ली
6. बेक, ए .एस. एस. (2000), ट्रायबल ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, नयी दिल्ली
7. चौधरी, वि.(2021) , झारखण्ड की अर्थव्यवस्था, नयी दिल्ली
8. जार्ज, एस. और नौटियाल एस.(2009), भारत में विस्थापन और कानून , नयी दिल्ली
9. बंद्योपाध्याय और सुबेदी (2012), ह्यूमन राइट्स ऑफ द इंटरनली डिस्प्लेसड पर्सनस लॉ एंड प्रेक्टिस, नयी दिल्ली
10. फुलिलोव, एम. टी. (1996) , साइक्रिटीक इम्प्लिकेसन ऑफ डिस्प्लेसमेंट : कंट्रीब्यूसन फ्रॉम द साइक्लोजी ऑफ प्लेस द अमेरिकन जरनल ऑफ साइकेटरी, 153(12)
11. पिंगली, जी. (2022), द सोशियो इकोनॉमिक, पोलिटिकल,एंड कल्चरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ आदिवासीज इम्प्लिकेसनस ऑफ इंडस्ट्रीयलायिजेसन, अर्बनायिजेसन, एंड जेन्ट्रीफिकेसन इन झारखंड
12. एरिपरामपिल, एम (1996), डिस्प्लेसमेंट डीयू टू माईनिंग इन झारखंड प्इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल विकली , 31(24)

ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल जी. के. एवं पाण्डेय एस. एस. (2019), ग्रामीण समाजशास्त्र, नयी दिल्ली
2. एरिपरामपिल, एम (1996), डिस्प्लेसमेंट डीयू टू माईनिंग इन झारखंड प्इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल विकली , 31(24)
3. कुमारी एच.(2019), भूमि हस्तांतरण का जनजातियों के सामाजिक– आर्थिक स्थिति पर प्रभाव, नयी दिल्ली
4. चौधरी वि.(2021) , झारखण्ड की अर्थव्यवस्था, नयी दिल्ली
5. जार्ज एस. और नौटियाल एस.(2009), भारत में विस्थापन और कानून , नयी दिल्ली
6. जैन एल.(2016) , विकास और विस्थापन, नयी दिल्ली
7. प्रसाद, नर्मदेश्वर (1961) लैण्ड एण्ड पीपुल ऑफ ट्राइबल बिहार, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राँची , नयी दिल्ली
8. फुलिलोव, एम. टी. (1996) , साइक्रिटीक इम्प्लिकेसन ऑफ डिस्प्लेसमेंट : कंट्रीब्यूसन फ्रॉम द साइक्लोजी ऑफ प्लेस द अमेरिकन जरनल ऑफ साइकेटरी, 153(12), नयी दिल्ली
9. बेक ए .एस. एस. (2000), ट्रायबल ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, नयी दिल्ली
10. भगत, एल.एन. एवं वर्मा, यू. के. (2001) बैकवड ऑफ झारखण्ड , नयी दिल्ली
11. मदन, जी. आर. एवं अग्रवाल, अमित (2012) परिवर्तन एवं जनजातीय विकास समाजशात्र, विवके प्रकाशन, दिल्ली
12. सिंह, आर . (2016), विकास ,विस्थापन एवं पुनर्वास, नयी दिल्ली

"Panchet Dam". india9. Retrieved 2010-06-06.

प्रभात खबर पत्रिका , बोकारो

दैनिक जागरण इ पेपर धनबाद

https://dhanbad.nic.in/hi/tourist

https://www.jagran.com/lite/jharkhand/dhanbad